



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/

दिनांक :

प्रति,

1756

7-8-18

प्राचार्य,

ज्ञानोदय इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,

ग्राम-सांडिया(मनासा), जिला-नीमच।

**विषय :** विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

**संदर्भ :-** महाविद्यालय का ऑनलाईन सम्बद्धता आवेदन क्रमांक/VU1804100029, दिनांक 10.04.2018

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में वकील संजय नवीन विगण, /सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय में पारित निर्णय का जो द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण दिनांक 09.06.2018 को किया गया। प्रकरण पर विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2018 में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की पूर्व बैठक दिनांक 22.06.2018 के संशोधन के साथ पुनः पुष्टि की गई जिसमें बिन्दू क्रमांक 06 में प्रस्तुत प्रस्ताव में संशोधन के साथ निम्नानुसार निर्णय लिया गया, "ज्ञानोदय इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मनासा, जिला-नीमच, में सत्र 2018-19 में बी.ए.बी.एड.-तृतीय वर्ष की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु स्वीकृति एवं निरंतरता शर्तों का निर्धारण किया गया।"


एक बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2018-19 में शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रतीक्षा में निर्णय अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.ए.बी.एड.-तृतीय वर्ष	50

- शर्तें :-**
01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2018 में दिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।
  02. उक्त पैदाश का सन्तुलन बनाए रखें।
  03. महाविद्यालय में शर्तों का निर्माण पंजीयान करें।


- \* उपरोक्त कर्तव्यों की पूर्ति आवश्यक रूप से शिघ्र पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।
- \* उपरोक्त महाविद्यालय को अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु शिक्षा परिषद्, भोपाल से प्राप्त अनुमति पत्र क्रमांक/PHS/WR/APP/3/355/D.A.B./2016/247th/2016/154192, Date 07.04.2016 के आधार पर प्रदान की गई है।
- \* उपरोक्त पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता के आगामी सत्र में निर्धारित समयवधि में आवेदन एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से करना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

निरंतर...02

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...

  
 उपकल्प (अकादमिक)